न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 62/2017

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

महावीर प्रसाद पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी वनवाडा तहसील रियांबडी जिला

1 कमला देवी पत्नी नौरतमल 2 विमला देवी पत्नी नौरतमल 3 शाति देवी पत्नी मूलाराम 4 नौरतमल पुत्र हेमाराम जातियान कुमावत निवासीगण निम्बोला विसवा तहसील रियांबडी जिला नागौर।
5 रामेश्वरलाल पुत्र मांगीलाल (फौत) के कायम मुकाम
5/1 भीकूलाल पुत्र रामेश्वरलाल 5/2 जगदीश पुत्र रामेश्वरलाल जातियान ब्राह्मण (उपाध्याय) निवासीगण मु.पो. पाटनपुर, पोस्ट बारड, तहसील मुदखेडा जिला नान्देड (महाराष्ट्र)।
6 तहसीलदार रियांबडी।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 06 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 01.04.2025

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील रियांबडी के मौजा वनवाडा के नामान्तरकरण सं. 430 निर्णय दिनांक 18.05.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.06.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 22.06.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5/1 व 5/2 बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहे है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा वनवाडा के नामान्तरकरण संख्या 430 की फोटोप्रति, इकरारनामा दिनांक 21.06.04 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि–

{2}(I)– अपीलाधीन म्यूटेशन अवैध, अनाधिकृत, विधिविरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– रेस्पोडेंट रामेश्वरलाल के आम मुख्त्यार नौरतमल के द्वारा 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान अपीलांट को कर देने के बाद में अपीलांट के नाम बेचान रजिस्ट्री कराने का इकरार करने के बाद रेस्पोडेंट रामेश्वर को वादग्रस्त खसरो की भूमि का बेचान रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन को करने का अधिकार नहीं था।

{2}(III)–वादग्रस्त भूमि में से 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि के हक अधिकार कब्जा दिनांक 21.06.2004 को अपीलांट को देने के बाद रेस्पोडेंट रामेश्वरलाल का कोई हक अधिकार खातेदारी कब्जा नहीं करने से रामेश्वर को इस भूमि का बेचान करने का कोई हक अधिकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि में खातेदारी हक अधिकार कब्जा अपीलांट का होने से रामेश्वरलाल द्वारा किया गया बेचान प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य होने से ऐसे बेचाननामे के आधार पर भरा गया अपीलाधीन म्यूटेशन अपास्त किये जाने योग्य है।

01/4/25
अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)– बिना अधिकार का बेचान होने से रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं हुए और न कभी प्राप्त हो सकते है इसलिए ऐसे बेचाननामे की आड में भरा गया म्यूटेशन रद्व किये जाने योग्य है।

{2}(V)–रामेश्वरलाल के जिस आम मुख्त्यार नौरतमल ने वादग्रस्त भूमि का इकरारनामा अपीलांट के हक में लिखा उसी नौरतमल की दोनो पत्नियों व पुत्र रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के पक्ष में रामेश्वर के द्वारा कागजी बेचान केवलमात्र अपीलांट के हको को समाप्त करने की बदनियती से षडयन्त्रपूवर्क किया गया है। नौरतमल की पत्नियों व पुत्र के हक में बेचाननामा का निष्पादन करना ही रेस्पोडेंट्स की साजिश साबित करता है।

{2}(VI)–म्यूटेशन भरे जाने से पूर्व अपीलांट को सुनने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन म्यूटेशन प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का सन 2004 से निरन्तर बिना किसी रोकटोक के रेस्पोडेंट्स की जानकारी में कब्जा रहता चला आ रहा है। इसकी पुष्टि इकरारनामे से होती है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने से तथा रेस्पोडेंट्स का कब्जा नहीं होने के कारण किसी सूरत में अपीलाधीन म्यूटेशन भरा जा सकता था।

{2}(VIII)– सन् 2004 से अपीलांट का कब्जा लगातार चला आने से अपीलांट को एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार वादग्रस्त भूमि प्राप्त हो चुके है। रामेश्वर के कोई अधिकार थे भी तो 12 वर्ष से अधिक समय से उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रहने से रेस्पोडेंट्स द्वारा कब्जा छुडाने का अधिकार समाप्त हो चुके है इसलिए किसी सूरत में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के हक में अपीलाधीन म्यूटेशन नहीं भरा जा सकता था। इसलिए भी अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2022(2) पेज 960 से 964 नजीर पेश की।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 04 ने अपनी बहस में बताया कि बेचाननामे के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण जैर अपील विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। अपील सारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2018 (1) पेज 610 से 614 व 780 से 784, आरआरटी 2019(1) पेज 332 से 335, आरआरडी 1994 पेज 22 से 23 नजीरे पेश की।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील रियांबडी के मौजा वनवाडा के नामान्तरकरण सं. 430 निर्णय दिनांक 18.05.2017 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रकरण में बेचाननामे के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है, जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय मे चाराजोही की जानी चाहिये। उक्त नामान्तरकरण विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/4/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर